उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

31-10-19 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षो के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली वास्ते तनकीयात कायमी पेश हुई। उभय पक्षो को सुना गया। पक्षकारो द्वारा आवश्यक पक्षकारो को रिकार्ड पर नही लिये जाने के बावजूद दावा खारिज नही करने का अनुरोध किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी स. 2058-61 के खाता संख्या 326 के अनुसार 175/1 का 1/2 हिस्से का खातेदार मृतक भगवानाराम था। उसके उत्तराधिकारियो के नाम विवादित आराजी का अमल दरामद हो चुका है। उक्त आराजी बैंक ऑफ इण्डिया के रहन भी दर्ज है। इसी प्रकार

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	
	जवाबदावा की मद संख्या 3 मे वर्णित तथ्यो के अनुसार वादी ने अपनी बहनो अर्थात पेमखरमल की पुत्रियों को दावा मे पक्षकार नही बनाया गया है। हस्तगत दावा विभाजन से संबंधित है, तदनुसार सहखातेदार आदेश 1 नियम 10 CPC के प्रावधानो के अनुसार आवश्यक पक्षकार है। इन पक्षकारो को दावा मे संयोजित नही करने के कारण विभाजन की अंतिम डिक्री का समुचित निर्धारण नही किया जा सकता है। साथ ही आराजी रहन दर्ज होने से संबंधित बैंकर भी आवश्यक पक्षकार है। इस प्रकार आवश्यक पक्षकारो के अभाव मे दावा खारिज किये जाने योग्य है। यद्यपि विभाजन का दावा होने से Cause of action के आधार पर नये सिरे से दावा पेश करने पर प्रतिबंध नही है। अतः आदेश है कि दावा वादी आवश्यक पक्षकारो के अभाव मे खारिज किया जाता है। वादी आवश्यक समझा जाने पर समस्त पक्षकारो को संयोजित कर विधिक प्रक्रिया के अनुसार दावा प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगा। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। 31/10/19 निधि सिंह

सत्यनारायण पुत्र ... शेखावाटी जिला ...